मेहर सिंह आदि **बनाम** सीतो आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 69 सन् 2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00209

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि राजस्व ग्राम 1 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 56/47 के मुरब्बा नम्बर 15, 33 की कुल 8.425 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी मुश्तर्का खाता की आराजी है। इस आराजी पर प्रतिकूल कब्जा का सिद्वान्त लागू नहीं होता है। जीवन सिंह के जीवनकाल से सभी अप्रार्थीगण अपने हिस्सानुसार विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है और विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर जमाबन्दी में दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा राजस्व ग्राम 1 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 56/56 के मुरब्बा नम्बर 15, 33 की कुल 7.439 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 सीतो, अप्रार्थी संख्या 2/1 प्रकाश कौर, अप्रार्थी संख्या 3 गुरनामों, अप्रार्थी संख्या 4 राजो के नाम कुल 4.959 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो जरिए विरास्तन नामातंरण संख्या 605 दिनांक 30.05.2019 से दर्ज हुई है। अप्रार्थी संख्या 1, 2/1, 3, 4 वादगत भूमि के अभिलिखित खातेदार है। यदि अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1, 2/1, 3, 4 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)